RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
सितंबर
11
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

भारत के उपराष्ट्रपति: सी. पी. राधाकृष्णन / Vice President of India: C. P. Radhakrishnan

संदर्भ:

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार **सी. पी. राधाकृष्णन** भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने इस चुनाव में विपक्षी INDIA गठबंधन के प्रत्याशी **न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी** को पराजित किया। यह परिणाम एनडीए की राजनीतिक मजबूती और राधाकृष्णन के लंबे संगठनात्मक व राजनीतिक अनुभव की पुष्टि करता है।

भारत के उपराष्ट्रपति:

- **स्थापना (अनुच्छेद 63):** भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है।
- **राज्यसभा में भूमिका (अनुच्छेद 64):** उपराष्ट्रपति राज्यसभा के **पदेन सभापति** होते हैं।
- **कार्यवाहक राष्ट्रपति (अनुच्छेद 65):**
  - राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफ़ा, पद से हटाए जाने या किसी अन्य कारण से पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति **कार्यवाहक राष्ट्रपति** का कार्यभार संभालते हैं।
  - यदि राष्ट्रपति अस्थायी रूप से अपने कार्य करने में असमर्थ हों तो भी उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का संचालन करते हैं।
  - इस अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के सभी **अधिकार, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा** प्राप्त होते हैं तथा उन्हें राष्ट्रपति के **वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएँ** मिलती हैं।
- **निर्वाचन प्रक्रिया (अनुच्छेद 66):** उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया संविधान में निर्धारित है।
- **सदस्यता से अयोग्यता:** उपराष्ट्रपति संसद या किसी राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते। यदि किसी सदस्य का चुनाव उपराष्ट्रपति के रूप में होता है, तो पद ग्रहण करते ही उनकी सीट स्वत: रिक्त मानी जाती है।

उपराष्ट्रपति की योग्यता और कार्यकाल:

योग्यता:

- उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उसकी आयु कम से कम **35 वर्ष** होनी चाहिए।
- उसे राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए।
- वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन **लाभ का कोई पद** धारण नहीं कर सकता।

कार्यकाल:

- उपराष्ट्रपति का कार्यकाल **5 वर्ष** का होता है।
- कार्यकाल समाप्त होने पर भी वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता।

पद से त्यागपत्र एवं हटाना:

- उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं।
- उन्हें राज्यसभा में प्रस्ताव पास करके और उसके बाद लोकसभा की स्वीकृति से **पद से हटाया** जा सकता है।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन:

निर्वाचन मंडल (Electoral College): उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित तथा नामित सदस्य मिलकर करते हैं। राज्य विधानसभाओं की इसमें **कोई भूमिका नहीं होती**।

मतदान स्थल: राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 (Rule 8) के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया संसद भवन में होती है।

मतदान की प्रणाली:

- उपराष्ट्रपति का चुनाव **अनुपातिक प्रतिनिधित्व** की प्रणाली से किया जाता है।
- इसमें **एकल हस्तांतरणीय मत (Single Transferable Vote - STV)** पद्धति अपनाई जाती है।
- मतदान **गुप्त मतपत्र** से होता है।
- प्रत्येक सांसद उम्मीदवारों को अपनी **प्राथमिकता (1, 2, 3 आदि)** के क्रम में अंकित करता है।

उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों का निवारण:

- **संविधान का प्रावधान (अनुच्छेद 71):** राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निवारण करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है।
- **निर्णय की अंतिमता:** सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माना जाता है।
- **चुनाव निरस्त होने की स्थिति:** यदि किसी चुनाव को शून्य (Void) घोषित कर दिया जाए, तो उस अवधि में उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी कार्य वैध (Valid) माने जाते हैं।
- **संसद की भूमिका:** संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विषयों पर कानून बना सकती है।

नेपाल में राजनीतिक संकट / Political Crisis in Nepal

संदर्भ:

नेपाल, जिसे परंपरागत रूप से नई दिल्ली का घनिष्ठ ऐतिहासिक मित्र माना जाता है, इस समय गंभीर राजनीतिक अशांति से गुजर रहा है। **जेन-Z** के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के हिंसक रूप लेने से कई लोगों की मौत हुई और **प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली** को इस्तीफा देना पड़ा। स्थिति अब भी अस्थिर बनी हुई है, जिसके चलते भारत ने नेपाल से लगने वाले अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को हाई अलर्ट पर रखा है ताकि संकट का असर इधर न फैल सके।

नेपाल में संकट के कारण:

- **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध:** सरकार ने 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया। आधिकारिक रूप से इसका कारण नियमों का पालन न करना बताया गया, लेकिन इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास माना गया। चूंकि सोशल मीडिया युवाओं के लिए अपनी बात रखने का मुख्य साधन था, इसलिए इसके हटते ही पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे।
- **जनरेशन-ज़ी (Gen Z) की असंतुष्टि:** भ्रष्टाचार, नेताओं की आलीशान जीवनशैली, जवाबदेही की कमी और **20% से अधिक युवाओं की बेरोजगारी** ने असंतोष को और बढ़ा दिया। नेपाल की अर्थव्यवस्था में प्रवासी आय (Remittances) का बड़ा योगदान है, लेकिन देश में रोजगार के अवसर बेहद सीमित हैं, जिससे युवाओं में गहरी निराशा फैल गई।
- **राज्य की कठोर प्रतिक्रिया:** प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग किया। जीवित गोलियां, रबर की गोलियां चलाई गईं और सख्त कर्फ्यू लागू किया गया। इस कार्रवाई में **20 से अधिक लोगों की मौत** हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए।

भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट:

- नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के बढ़ते-बढ़ते राजनीतिक संकट का रूप लेने के बाद भारत ने नेपाल से सटी अपनी सीमावर्ती क्षेत्रों में **हाई अलर्ट** घोषित कर दिया है।
- सरकार की ओर से बल प्रयोग किए जाने पर कम से कम **19 लोगों की मौत** हो गई और **300 से अधिक लोग घायल** हो गए। इन प्रदर्शनों का नेतृत्व मुख्य रूप से **जनरेशन-ज़ी (Gen Z)** के युवा कर रहे थे।

भारत के अशांत पड़ोस के प्रभाव:

- **सुरक्षा खतरे:** पड़ोसी देशों में अस्थिरता और उग्रवादी विचारधाराओं का बढ़ना सीधे तौर पर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। विशेषकर नेपाल जैसी **खुली सीमाएँ (Porous Borders)** उग्रवादी समूहों की आवाजाही को आसान बना सकती हैं।
- **कूटनीतिक चुनौतियाँ:** भारत की विदेश नीति का बड़ा हिस्सा अपने पड़ोस में उत्पन्न संकटों को सँभालने में लग जाता है। इससे भारत को अपने **विस्तारित पड़ोस** और वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है।
- **आर्थिक परिणाम:** अस्थिरता से व्यापार मार्ग और पर्यटन प्रभावित हो जाते हैं। हाल ही में नेपाल संकट के दौरान उड़ानों और सीमा पार आवागमन में व्यवधान आया। इसके अलावा भारत को आर्थिक सहायता और मानवीय मदद का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है।
- **घरेलू राजनीतिक असर:** पड़ोसी देशों में होने वाले जातीय या साम्प्रदायिक संघर्ष कभी-कभी भारत की घरेलू राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। खासकर सीमा से लगे राज्यों में, जहाँ आबादी और सांस्कृतिक संबंध साझा होते हैं, इनका असर और गहरा होता है।

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना / UN Peacekeeping

संदर्भ:

भारत ने यह स्पष्ट किया है कि शांति स्थापना अभियानों की वास्तविक प्रभावशीलता तभी संभव है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार किए जाएं। इन सुधारों से परिषद को वह वैधता मिलेगी, जो वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाली संरचना से आती है, न कि पुरानी शक्ति समीकरणों से।

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (UN Peacekeeping):

- **UNDPO की भूमिका:** संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (UN Peacekeeping) का संचालन **संयुक्त राष्ट्र शांति संचालन विभाग (UNDPO)** द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य संघर्ष-पीड़ित देशों को स्थायी शांति की ओर आगे बढ़ने में सहायता करना है।
- **मूलभूत सिद्धांत:**
  1. संबंधित पक्षों की **सहमति (Consent of the Parties)**
  2. **निष्पक्षता (Impartiality)**
  3. बल प्रयोग से परहेज़, सिवाय **आत्मरक्षा (Self-Defence)** की स्थिति में
- **इतिहास:** 1948 से अब तक संयुक्त राष्ट्र शांति सेना ने **71 फील्ड मिशन** संचालित किए हैं।
- **वर्तमान स्थिति:** वर्तमान में लगभग **81,820 कर्मी** चार महाद्वीपों में फैले **13 शांति अभियानों** में कार्यरत हैं।
- **योगदान देने वाले देश:** अब तक **119 देशों** ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के लिए सैन्य और पुलिस बल का योगदान दिया है।

संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों की भूमिका:

- **नागरिकों की सुरक्षा:** शांति रक्षक (Peacekeepers) आम नागरिकों की रक्षा करते हैं और हिंसा को रोकने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते हैं।
- **संघर्ष की रोकथाम:** यह बल संघर्ष को रोकने, हिंसा को कम करने और सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत बनाने में मदद करता है।
- **राष्ट्रीय प्राधिकरण को सशक्त बनाना:** शांति रक्षक स्थानीय/राष्ट्रीय प्राधिकरणों को सक्षम बनाते हैं ताकि वे स्वयं सुरक्षा और शांति की जिम्मेदारी संभाल सकें।
- **सामंजस्यपूर्ण रणनीति:** इसके लिए सुरक्षा, शांति निर्माण और राजनीतिक रणनीति का आपसी तालमेल ज़रूरी होता है।
- **दीर्घकालिक शांति की नींव:** संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मेज़बान देशों को संघर्ष के प्रति अधिक सक्षम (Resilient) बनाती है। यह न केवल तत्काल हिंसा को कम करती है, बल्कि संघर्ष की **मूल वजहों (Root Causes)** को दूर करने पर भी ध्यान देती है, ताकि स्थायी शांति स्थापित हो सके।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत की भूमिका:

ऐतिहासिक योगदान

- **अग्रणी भूमिका:** भारत ने 1950 के दशक में कोरिया में चिकित्सा दल और सैनिक भेजकर शांति स्थापना में अपनी भागीदारी शुरू की।
- **प्रमुख सैनिक प्रदाता:** भारत अब तक 2,90,000 से अधिक शांति रक्षक 50+ मिशनों में भेज चुका है। वर्तमान में भी भारत के **5,000 से अधिक सैनिक 9 सक्रिय मिशनों** में सेवा दे रहे हैं।

भारत की विशेष भूमिकाएँ और योगदान

- **महिला शांति रक्षक:** भारत ने महिलाओं की तैनाती में अग्रणी भूमिका निभाई।
- **UNITE AWARE प्लेटफॉर्म:** भारत ने **UNITE AWARE** तकनीकी मंच विकसित किया, जिससे शांति रक्षकों की सुरक्षा और निगरानी क्षमता बढ़ी।
- **रणनीतिक नेतृत्व:** भारत ने कई **फोर्स कमांडर** और वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर अधिकारी उपलब्ध कराए।
- **सुरक्षा और समावेश:** भारत लगातार शांति रक्षकों की सुरक्षा और समावेश (Inclusion) को बढ़ावा देने वाले अभियानों का समर्थन करता रहा है।

आवश्यक UNSC सुधार:

- **वैधता और प्रतिनिधित्व:** स्थायी और अस्थायी सदस्यता का विस्तार कर भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और अफ्रीकी देशों को शामिल करना।
- **संचालन दक्षता:** यथार्थवादी व समयबद्ध जनादेश तय करना, मिशनों को ठोस राजनीतिक परिणामों से जोड़ना।
- **सैनिक योगदान देने वाले देशों की भागीदारी:** जनादेश की तैयारी और समीक्षा में शामिल करना ताकि रणनीति ज़मीनी हकीकत पर आधारित हो।
- **वित्तीय स्थिरता:** सदस्यता विस्तार से वित्तीय जिम्मेदारी का बंटवारा और संसाधनों के अनुरूप जनादेश तय करना।
- **नए खतरों के अनुकूलन:** आतंकवाद, साइबर हमले, दुष्प्रचार और हाइब्रिड वारफेयर से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक (AI, ड्रोन, जियोस्पेशल मैपिंग) का उपयोग करना।

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस / World Suicide Prevention Day

संदर्भ:

हर साल **10 सितंबर** को मनाया जाने वाला विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2025 मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दे पर कलंक को कम करने की अपील करता है। इस वर्ष का विषय है **"चेंजिंग द नैरेटिव" (Changing the Narrative)**, जिसके तहत खुली बातचीत को प्रोत्साहित करने, संवेदनशीलता बढ़ाने और राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया गया है।

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस (World Suicide Prevention Day):

शुरुआत: विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस (WSPD) की शुरुआत **2003 में अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ (IASP)** और **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के सहयोग से की गई थी। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, आत्महत्या से जुड़े कलंक (Stigma) को कम करना और सामुदायिक, संस्थागत तथा सरकारी स्तर पर कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है।

वर्तमान थीम: *"Changing the Narrative"* (कहानी बदलें):

- आत्महत्या से जुड़े हानिकारक मिथकों को चुनौती देता है।
- संवेदनशील और करुणामयी संवाद को बढ़ावा देता है।
- सार्वजनिक नीतियों (Public Policy) में मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने पर ज़ोर देता है।
- प्रमाण-आधारित रोकथाम (Evidence-based Prevention), समय पर उपचार और ऐसा वातावरण बनाने पर बल देता है जहाँ लोग सुरक्षित महसूस कर सकें और मदद माँग सकें।

वैश्विक स्थिति:

- आत्महत्या 15-29 वर्ष के युवाओं में **मृत्यु के प्रमुख कारणों** में से एक है।
- अनुमानत: **हर 1 आत्महत्या मृत्यु पर 20 प्रयास** होते हैं।
- ये आँकड़े मज़बूत रोकथाम रणनीतियों और सार्वजनिक सहभागिता की गंभीर आवश्यकता को दर्शाते हैं।

भारत में आत्महत्या की स्थिति:

वैश्विक बोझ में भारत का योगदान:

- दुनिया में होने वाली कुल महिला आत्महत्याओं में से लगभग **एक-तिहाई** भारत में होती हैं।
- पुरुष आत्महत्याओं में भारत का हिस्सा लगभग **चौथाई** है।

एनसीआरबी (NCRB) आँकड़े:

- भारत में आत्महत्या दर 2017 में **9.9 प्रति लाख** थी, जो 2022 में बढ़कर **12.4 प्रति लाख** हो गई।
- इसमें क्षेत्रीय असमानता भी देखने को मिलती है।
  - **सिक्किम** - सबसे अधिक आत्महत्या दर (**43.1 प्रति लाख**)
  - **विजयवाड़ा** - (**42.6 प्रति लाख**)
  - **कोल्लम** - (**42.5 प्रति लाख**)
- इसके विपरीत, **बिहार** में आत्महत्या दर सबसे कम (**0.6 प्रति लाख**) दर्ज की गई।

आत्महत्या के प्रमुख कारण:

- **पारिवारिक समस्याएं:** 31.7%
- **बीमारी:** 18.4%
- **नशीली दवाओं का दुरुपयोग/शराब की लत:** 6.9%
- **विवाह संबंधी समस्याएं:** 4.8%
- **प्रेम संबंध:** 4.6%
- **दिवालियापन/ऋणग्रस्तता:** 3.3%
- **बेरोज़गारी:** 2.6%

आत्महत्या रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पहलें:

भारत सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या रोकथाम को लेकर कई कदम उठाए हैं। इनमें प्रमुख हैं:

- **टेली-मानस (Tele-MANAS):** देशभर में टेलीफोन आधारित मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा।
- **DMHP:** जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता को बढ़ावा।
- **RKSK:** किशोरों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान।
- **मनोदर्पण:** छात्रों और युवाओं के लिए काउंसलिंग व मानसिक स्वास्थ्य समर्थन।
- **राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (NSPS):** 2022 में शुरू, लक्ष्य 2030 तक आत्महत्याओं में 10% कमी लाना।

भारत का बीमा उद्योग / Insurance industry of India

संदर्भ:

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (Jio Financial Services) ने जर्मनी की **एलियांज (Allianz)** के साथ मिलकर भारत में रिफाइनेंस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 'एलियांज जियो रीइंश्योरेंस लिमिटेड' (AJRL) की स्थापना की है।

- जियो फाइनेंशियल कंपनी AJRL में 50% हिस्सेदारी के लिए 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 25,000 इक्विटी शेयरों का शुरुआती सब्सक्रिप्शन करेगी, जिसमें 2.50 लाख रुपये का निवेश किया जाएगा।
- इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत के रिइंश्योरेंस कारोबार को विकसित करना है, जो रेगुलेटरी अप्रूवल के अधीन संचालित होगा।

रिइंश्योरेंस क्या है?

रिइंश्योरेंस एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें एक बीमा कंपनी (जिसे **सेडेंट** कहते हैं) अपनी जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी **दूसरी बीमा कंपनी (reinsurer)** को हस्तांतरित करती है। इसके बदले में रिइंश्योरर को प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। इसे **"इंश्योरेंस फॉर इंश्योरर्स" (Insurance for Insurers)** भी कहा जाता है।

रिइंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य:

- **बड़ी हानियों को प्रबंधित करना**
- **वित्तीय प्रदर्शन को स्थिर करना**
- **अधिक पॉलिसियां अंडरराइट करने की क्षमता बढ़ाना**
- **संभावित दावों के वित्तीय बोझ को साझा कर व्यवसाय का विस्तार करना** है।

यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब प्राकृतिक आपदाओं या बड़ी घटनाओं से भारी दावे उत्पन्न होते हैं।

रिइंश्योरेंस कैसे काम करता है?

1. **जोखिम का हस्तांतरण:** प्राथमिक बीमाकर्ता जनता को पॉलिसियां बेचता है और फिर इन पॉलिसियों के जोखिम का एक हिस्सा रिइंश्योरर को ट्रांसफर कर देता है।
2. **प्रीमियम का भुगतान:** सेडेंट रिइंश्योरर (Cendant Reinsurer) को उस जोखिम को लेने के लिए प्रीमियम का भुगतान करता है, जैसे कोई व्यक्ति अपनी बीमा पॉलिसी के लिए प्रीमियम देता है।
3. **दावा (Claim) भुगतान:** यदि कोई दावा होता है जो रिइंश्योरेंस समझौते की शर्तों के तहत आता है, तो रिइंश्योरर सेडेंट को उस दावे का पूरा या आंशिक भुगतान करता है।

अनुबंधात्मक समझौता: रिइंश्योरेंस समझौतेमें यह तय होता है कि कितना जोखिम हस्तांतरित होगा और किन शर्तों में रिइंश्योरर दावों के लिए जिम्मेदार होगा।

भारत का बीमा उद्योग 2030 तक दोगुना होने का अनुमान:

हाल ही में **इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया** और **मैकिन्से एंड कंपनी** की संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का बीमा उद्योग **2030 तक 123% बढ़कर 25 लाख करोड़ रुपये** तक पहुँच सकता है। यह वृद्धि 2024 में ₹11.2 लाख करोड़ के जीडब्ल्यूपी स्तर से होगी।

विकास का कारण:

भारत वर्तमान में विश्व के उभरते बीमा बाजारों में **पांचवां सबसे बड़ा जीवन बीमा बाजार** है, जो प्रति वर्ष 32-34% की दर से बढ़ रहा है। उद्योग ने हाल के वर्षों में नई और प्रगतिशील उत्पाद पेश कर, प्रतिस्पर्धा के चलते तेजी से विकास किया है।

प्रमुख आँकड़े

- **सकल लिखित प्रीमियम (GWP):** 2024 में ₹11.2 लाख करोड़, 2020 में ₹7.8 लाख करोड़ से वृद्धि।
- **2030 का अनुमानित GWP:** ₹25 लाख करोड़, यानी 123% वृद्धि।
- **बीमा का वर्तमान प्रवेश:** सकल घरेलू उत्पाद का 3.7%, वैश्विक औसत 6.8% से कम।
- **गैर-जीवन बीमा:** 2030 तक ₹2.8 लाख करोड़, **एसएमई, कपड़ा, फार्मा और ऑटोमोटिव** उद्योगों से।

खुदरा बीमा: 2030 तक ₹21 लाख करोड़, जिसमें 90% जीवन बीमा क्षेत्र से आएगा।

भारत के बीमा क्षेत्र को नीतिगत समर्थन:

भारतीय बीमा क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और इसके लिए **नीतिगत और सरकारी समर्थन** महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। **IRDAI का विज़न 2047** सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने और बीमा तक पहुँच को आसान बनाने के लिए सुधारों को आगे बढ़ा रहा है।

विधायी और नियामक सुधार:

- **मुख्य अधिनियम:** बीमा अधिनियम (1938), IRDAI अधिनियम (1999) और अन्य संशोधन, जो विदेशी निवेश और परिचालन लचीलेपन की अनुमति देते हैं।
- **बीमा विस्तार योजना:** जीवन, स्वास्थ्य, दुर्घटना और संपत्ति जोखिमों को कवर करने वाली प्रस्तावित **ऑल-इन-वन बंडल पॉलिसी**, जो त्वरित भुगतान और उपयोग में आसानी के लिए डिज़ाइन की गई है।
- **बीमा सुगम प्लेटफ़ॉर्म:** पॉलिसी खरीद और दावों के निपटान के लिए डिजिटल वन-स्टॉप शॉप, जिसमें तेज़ जीवन बीमा निपटान के लिए राज्य मृत्यु रजिस्ट्रियों को जोड़ने की योजना।

राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी (Anti-Conversion) विधेयक

संदर्भ:

राजस्थान विधानसभा ने **"राजस्थान अवैध धार्मिक रूपांतरण निषेध विधेयक, 2025"** पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में जबरन, धोखे या दबाव के माध्यम से होने वाले धार्मिक रूपांतरणों पर रोक लगाना है। यह विधेयक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करते हुए सुनिश्चित करता है कि रूपांतरण केवल स्वेच्छा और विधिक प्रक्रिया के तहत ही हो।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ (Key Features):

- **प्रतिबंधित रूपांतरण:** बल, दबाव, धोखाधड़ी, लालच, अनुचित प्रभाव, गलत प्रस्तुति, विवाह या किसी भी छलपूर्ण तरीके से धार्मिक परिवर्तन प्रतिबंधित है।
- **घोषणा और जाँच:**
  - धर्मांतरण कराने वाला व्यक्ति और धर्म बदलने वाला व्यक्ति – दोनों को **जिला मजिस्ट्रेट (DM)** के समक्ष घोषणा करनी होगी।
  - DM इस पर **जाँच करेगा और आपत्तियाँ आमंत्रित करेगा**।
- **एफआईआर दर्ज करने वाले लोग:** ज़बरदस्ती धर्मांतरण की स्थिति में **पीड़ित, माता-पिता, भाई-बहन, या रक्त/विवाह/गोद लिए रिश्तेदार** एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
- **सामान्य अपराध:** अवैध धर्मांतरण पर **7 से 14 साल की कैद** और न्यूनतम **₹5 लाख जुर्माना** लगाया जाएगा।
- **संवेदनशील वर्ग:** यदि धर्मांतरण **नाबालिग, महिला, दिव्यांग, या अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST)** व्यक्ति का है, तो सज़ा **10 से 20 साल की कैद** और न्यूनतम **₹10 लाख जुर्माना** होगी।
- **सामूहिक धर्मांतरण:** यदि सामूहिक धर्मांतरण होता है तो दोषियों को **20 साल से लेकर आजीवन कारावास** और न्यूनतम **₹25 लाख जुर्माना** भुगतना होगा।

ZAPAD अभ्यास / Zapad Exercise

संदर्भ:

भारतीय सशस्त्र बलों का 65 सदस्यीय दल मंगलवार (9 सितंबर, 2025) को रूस के निज़नी स्थित **मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड** के लिए रवाना हुआ। यह दल **बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास 'ZAPAD 2025'** में भाग लेगा, जो 10 से 16 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा।

ZAPAD अभ्यास (Zapad Exercise):

परिचय:

- Zapad अभ्यास श्रृंखला की शुरुआत **सोवियत युग** में हुई थी।
- इसे **2009 से रूस** द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

उद्देश्य (Objective):

1. **सैन्य सहयोग (Military Cooperation)** को बढ़ाना और **इंटरऑपरेबिलिटी (Interoperability)** में सुधार करना।
2. प्रतिभागी देशों को **सामान्य युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों (Conventional Warfare & Counter-Terrorism)** में अपनी रणनीतियाँ और तकनीकें साझा करने का मंच प्रदान करना।
3. खुले और मैदान वाले क्षेत्रों में **संयुक्त कंपनी-स्तरीय (Company-Level) संचालन** पर ध्यान केंद्रित करना।
4. **उभरती तकनीकों (Emerging Technologies)** को शामिल करना और बहुराष्ट्रीय युद्ध पर्यावरण में **संयुक्त संचालन क्षमता (Joint Operational Capabilities)** को बढ़ाना।

GS FOUNDATION For

UPSC & STATE PSC

- इतिहास
- अर्थव्यवस्था
- भूगोल
- भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था

1500x4
~~₹6000/-~~

₹4500/-

- रोज़ाना लाइव क्लासेस
- साप्ताहिक टेस्ट
- क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
- लाइव डाउट सेशन
- रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न

COURSE VALIDITY
1 YEAR

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
FOUNDATION COURSE
OF MUTUAL FUND
INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH
COMBO OFFERS
BBK
Baaten Bazaar ki
COURSE FEE
₹4000/-
OFFER PRICE
₹2800/-
Course Validity
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
Baaten Bazar Ki
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE

\+ (FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)

EMI AVAILABLE

- » Long-Term Investing Foundations
- » Principles of Value Investing and Stock
- » Portfolio Construction Mastery
- » Sectoral Investing
- » Stock Picking Framework
- » Active Portfolio Management Techniques
- » Mega Cap vs Mid Cap Strategy

SPECIAL BONUS

COURSE VALIDITY
1 YEAR